"कापार्ट" द्वारा सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र पथराही, बिहार को जारी की गई धनराशि

7368. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मधुबनी जिले में सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही झंझारपुर (आर०एस०) को इसकी योजनाओं के लिए विगत छः महीनों में "कापार्ट" द्वारा स्वीकृत की गई एवं जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी योजनाओं के नाम, जारी की गई राशि की तिथियां तथा इस संबंध में की गई प्रगति का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या "कापार्ट" द्वारा इस संगठन के विरुद्ध जांच समिति गठित की गई है;

(घ) जांच समिति के सदस्यों का ब्यौरा और जांच के बिन्दु क्या हैं; और

(ङ) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) और (ख) सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही, झंझारपुर, जिला मधुबनी, बिहार को पिछले छः महीनों के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए कापार्ट द्वारा मंजूर की गई राशि तथा रिलीज की गई राशि के ब्यौरे तथा मंजूर परियोजनाओं की प्रगति निम्नलिखित है:—

क्रमांक	योजना का नाम	तारीख सहित मंजूर की गई राशि	तारीख सहित रिलीज की गई राशि	परियोजना की प्रगति
1.	सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण	8,66,000 रू० (8.8.94)	4,91,000 रु० (11.10.94) 3,75,000 रु० (14.12.94)	परियोजना का कार्यान्वयन संतोषजनक रहा।
2.	हैंड पम्पों को लगाना	5,44,500 रु० (31.10.94)	शून्य	निधियां अभी रिलीज की जानी हैं।
	कुल:	14,10,500 रु०	8,66,000 रु०	

(ग) जी हां।

(घ) पूछताछ समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. गया के श्री टी० सरण
2. दिल्ली के श्री एस० वेंकटरमण
3. पटना के श्री आर० एल० दीवान

पूछताछ समिति निम्नलिखित पहलुओं को देखेगी:

(1) सामान्य रूप से समिति के कार्यकरण और समिति पंजीकरण अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करना।

(2) समिति के मामलों से संबंधित रिकार्डों का रख-रखाव तथा बैंक खातों के संचालन सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय सहायता।

(3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा केन्द्रीय ग्रामीण स्वैच्छता कार्यक्रम दोनों के अन्तर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन तथा क्षेत्र में लोगों को प्राप्त होने वाले लाभ।

(4) सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं उन पर निधियों का उपयोग आदि।

(ङ) जांच समिति से 31.7.1995 तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए निवेदन किया गया है।

Backward Districts of Gujarat benefited under Special Employment Generation Scheme

7369. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all the backward districts of Gujarat are likely to

be benefited under the special Employment generation Scheme;

(b) if so, what is the number of SC/ST, backward and tribal class families which have been benefited so far under this Scheme;

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, by when these families are likely to be benefited;

(d) what are the criteria for choosing the district or area to have the benefit of the above said Scheme; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) No such scheme by name Special Employment Generation Scheme is being implemented. However, the Employment Assurance Scheme (EAS) was introduced in October, 1993 in 1778 Revamped Public Distribution System (RPDS) blocks of the country, including 97 blocks of 16 districts of Gujarat. At present, EAS is being implemented in 131 blocks of 17 districts of Gujarat.

(b) Under EAS, an employment of 26.77 lakh mandays has been generated since inception of the scheme. This includes 3.42 lakh mandays of employment provided to SCs and 13.87 lakh mandays of employment to STs.

(c) Does not arise.

(d) and (e) Blocks covered under the RPDS, Modified Area Development Approach (MADA), DPAP/DDP and also flood prone area included under the Employment Scheme.

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए गुजरात को आबंटित धनराशि

7370. **श्री अनन्त राय देवशंकर दवे:**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आबंटित धनराशि में वृद्धि करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले को कितनी अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी; और

(ग) इस धनराशि में वृद्धि करने के फलस्वरूप लाभान्वित होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटले): (क) ग्रामीण विकास के लिए समग्र आवंटन को सातवीं योजना अवधि के दौरान 10,955 करोड़ रुपये से बढ़ाकर आठवीं योजना अवधि के दौरान 30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 8वीं योजना अवधि के दौरान बढ़े हुए आवंटन के आधार पर 1992-93 से 1994-95 तक के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात् (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना, (3) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए गुजरात राज्य में क्षेत्रों के विकास हेतु आवंटित राशि निम्नानुसार है:—

आवंटित/रिलीज की गई राशि (लाख रुपये में)

वर्ष	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	जवाहर रोजगार योजना*	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	मरूभूमि विकास कार्यक्रम
1992-93	2010.00	6291.16	746.00	225.00
1993-94	3090.00	6999.55	1119.00	337.50
1994-95	3063.00	8268.65	1236.00	382.00

*रिलीज